भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 648
वृहस्पतिवार, दिनांक 22 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>अपतटीय पवन ऊर्जा</u>

648. श्री बृजेन्द्र सिंह: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंकि कि:

(क) क्या सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तटीय क्षेत्रों की क्षमता का दोहन करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आगामी अपतटीय पवन परियोजनाओं, यदि कोई हो तो, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क): सरकार ने वर्ष 2015 में अपतटीय पवन सेक्टर विकसित करने की दृष्टि से बुनियादी-ढाँचे का प्रावधान करने के लिए "राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति" अधिसूचित की है। नीति की अधिसूचना के बाद, सरकार ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के माध्यम से 'अपतटीय पवन ऊर्जा मूल्यांकन अध्ययन एवं सर्वेक्षण दिशा-निर्देश' जारी किया है ताकि निजी निवेशकों को अपतटीय पवन संसाधन मूल्यांकन करने में समर्थ बनाया जा सके। साथ ही, सरकार गुजरात और तमिलनाडु के अभिज्ञात अपतटीय स्थानों में अपतटीय पवन संसाधन क्षमता को वैध करने के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के माध्यम से अपतटीय पवन संसाधन मूल्यांकन एवं उससे संबंधित अध्ययन कर रही है।

(ख): मंत्रालय ने अगामी अपतटीय परियोजनाओं सहित देश में अपतटीय पवन विकास रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति बनाई है।

(ग) और (घ): सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है।

*****